

कार्यालय अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ़)

C.C NO. - 244/04-05

अभिलेख उपास्थापित।

5.B.I. कुजु द्वारा श्री महेन्द्र प्रसाद
पिता देवेन्द्र मोहन द्वारा पता कुजु
विरुद्ध राशि मो0 14,010/- (चौद हजार रु0
वसुली) वसुली हेतु निलाम पत्र वाद दायर किया
गया है।

पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 827
दिनांक 19/07/24 द्वारा शाखा प्रबंधक 5.B.I. कुजु को पंजी IX से X
के मिलान हेतु पत्र दिया गया, परन्तु इतने पत्रों के बाद भी उनके द्वारा पंजी IX
एवं X के मिलान हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। जिस कारण IX से X का
मिलान नहीं हो पाया। फलस्वरूप यह नहीं पता चल पाया कि बकायेदार पर
कितना राशि बकाया है तथा कितना वसुल की गई है। इस कार्यालय संबंधित
कार्यवाहक लिपिक अधोहस्ताक्षरी के निदेश पर रटिस्टर IX से X से मिलान हेतु
संबंधित बैंक में भेजा गया, परन्तु बैंक की किसी कर्मि द्वारा किसी भी प्रकार का
कोई भी अभिरुचि नहीं ली गई है। जिस कारण पंजी IX से X का मिलान नहीं
हो पाया। बकाया राशि का अद्यतन राशि की जानकारी नहीं हो पायी।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रथम पक्ष की अभिरुचि नहीं लेने
एवं निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश का उल्लंघन करने तथा वाद
का काफी दिनों से लंबित रहने के कारण इस वाद को स्थगित किया जाता है।

इसकी सूचना शाखा प्रबंधक, 5.B.I. कुजु
/LDM, रामगढ़ तथा मुख्य
प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को दें।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त की
जाती है।

अंचल अधिकारी

—सह—

निलाम पत्र पदाधिकारी
माण्डू